न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां जिला बारां

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा, आर0जे0एस0 (डी0जे0 केडर)
आपराधिक विविध सं0 : 67/2026
सीआईएस नम्बर : 169/2026

किशोर कुमार पांचाल पुत्र श्री मदन मोहन पांचाल उम्र 48 वर्ष निवासी सुसावन बस्ती बारां हाल-मणिहारा तालाब के पास, शिव कॉलोनी, बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज0) -प्रार्थी/अभियुक्त-

- बनाम -

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां। -अप्रार्थी/विपक्षी-

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
एफ.आई.आर. नं0 17/2026, पुलिस थाना सदर बारां
जुर्म धारा 8/20, 8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

उपस्थितः -
1- श्री शैलेष मेहता, अधिवक्ता-प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- विशिष्ठ लोक अभियोजक-राज्य की ओर से।

- आदेश - दिनांक:- 12.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त किशोर कुमार की ओर से धारा 483 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सदर बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2026 के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। जमानत प्रार्थनापत्र की नकल विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं बहस सुनी गई।

2- दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से कोई संबंध नहीं है। मात्र सह अभियुक्त के बताये जाने के आधार पर उसे मुलजिम बनाया गया है। प्रार्थी का अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। सह अभियुक्तगण को जमानत पर छोडा जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3- दौराने बहस विद्वान विशिष्ट लोक अभियेाजक की ओर से तर्क दिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा काफी अधिक मात्रा में मादक पदार्थ का विक्रय सह अभियुक्तगण को किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकार के अपराधों में पूर्व में भी संलिप्त रहा है, जिसके द्वारा जमानत पर छोडे जाने के बाद पुनः अपराध किया गया है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई

तथा प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का निम्न आपराधिक रिकोर्ड होना जाहिर कियाः-

क्रम सं0	**मुकदमा नं0 मय थाना**	**धारा**	**चार्जशीट नं0**	**प्रकरण की वर्तमान स्थिति**
01	130/2024 थाना कोतवाली बारां	8/20 एनडीपीएस एक्ट	265/19.08.25	पैन्डिंग कोर्ट

4- उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया तथा पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से प्रेषित अनुसंधान पंजिका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि पुलिस थाना बारां सदर के थानाधिकारी द्वारा मय जाप्ता दिनांक 23.01.2026 को गश्त करते समय ग्राम बडा पहुंचने पर वहां बैठे दो व्यक्तियों की संदेह के आधार पर तलाशी लिये जाने पर उनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद किया जाना बताया गया है, जिसमें से अभियुक्त शिवप्रकाश के कब्जे से कुल 2 किलोग्राम 885 ग्राम तथा अभियुक्त बबलू के कब्जे से 1 किलोग्राम 922 ग्राम की मात्रा में शुद्ध मादक पदार्थ गांजा बरामद किये जाने पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त किशोर कुमार पांचाल को अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के आरोप हेतु दिनांक 26-01-2026 को गिरफतार किया जाना बताया गया है तथा अब तक किये गये अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त किशोर कुमार के द्वारा सह अभियुक्तगण को मादक पदार्थ गांजा की 5 किलोग्राम मात्रा रूपयों के बदले विक्रय किया जाना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का विधि विरूद्ध रूप से दोनों सह अभियुक्तगण को काफी मात्रा में विक्रय किया जाना प्रकट हुआ है। यद्यपि उक्त मात्रा 5 किलोग्राम बतायी गयी है जो कि मादक पदार्थ गांजा की वाणिज्यिक की सीमा से कम है तथा सह अभियुक्तगण शिवप्रकाश एवं बबलू के जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार भी किये गये हैं, परंतु उक्त दोनों सह अभियुक्तगण के जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा उनकी पृथक पृथक बरामद मादक पदार्थ की मात्रा तथा उनके विरूद्ध इस प्रकृति का कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने के आधार पर स्वीकार किया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त का जो आपराधिक रिकॉर्ड अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, उसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति का एक अन्य मामला पूर्व में भी दर्ज/लंबित होना बताया गया है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के बावजूद उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग करते हुए पुनः इसी प्रकृति के अपराध में लिप्त होने के आधार पर इस प्रकरण में उसे गिरफतार किया जाना प्रकट हुआ है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड आदि को दृष्टिगत रखे जाने के उपरांत यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना

न्यायोचित नहीं पाता है।

5- परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **किशोर कुमार पांचाल** की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

6- आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

RAFIK ALI
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAFIK ALI